# <u>न्यायालय</u> :—द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला बैहर (पीठासीन अधिकारी—माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.—20/2017 संस्थित दिनांक — 12.08.2017 सी.आई.एस. फाईलिंग नंबर—आर.सी.ए./189/2017

मोहम्मद हुसैन आयु 40 वर्ष पिता मो0 गुलाब जाति मुसलमान निवासी—ग्राम गुदमा (उकवा) तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट — — — — वादी / अपीलार्थी

# -// <u>विरुद</u>्ध /

- 1— नायब तहसीलदार महोदय उक्कवा (परसवाड़ा) बालाघाट
- 2— पटवारी,प.ह.न.25 मौजा उक्का तहसील परसवाड़ा बालाघाट
- 3— म०प्र० शासन तर्फः-कलेक्टर बालाघाट म.प्र.

### À − − प्रतिवादी / <u>उत्तरवादीगण</u>

{न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा द्वारा व्य.वाद कमांक 300021ए/2015 मो. हुसैन बनाम नायब तहसीलदार+2 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.07.2017 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है।

श्री बी०एल० राणा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी। श्री आर.आर. पटले वास्ते उत्तरवादी क. 1, 2 उत्तरवादी कमांक 3 अनुपस्थित।

## -/// <u>निर्णय</u> ////-(<u>आज दिनांक 18 जनवरी 2018 को घोषित</u>)

1. अपीलार्थी / वादी मोहम्मद हुसैन ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर जिला बालाघाट पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा} द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 300021ए / 2015, मोहम्मद हुसैन बनाम नायब तहसीलदार वगैरह में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.07.2017 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

- 2. उभयपक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि उभयपक्ष लेख पते के निवासी हैं। ग्राम पंचायत गुदमा रेंज आफिस चौक उकवा तहसील परसवाडा जिला बालाघाट में वादी चाय, पान की दुकान का संचालन कर परिवार का पालन—पोषण करता है। प्रतिवादी क. 1 नायब तहसीलदार उकवा के पद पर पदस्थ है जिसने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 194/1 के संबंध में वादी को अतिक्रमण बाबत् सूचना प्रेषित बेदखल किये जाने हेतु तथा बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की सूचना दिये जाने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी क. 2 ने उक्त भूमि पर वादी का अतिक्रमण होने का प्रतिवेदन प्रतिवादी क. 1 को प्रेषित किये जाने से उसे पक्षकार बनाया है। वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि होने से प्रतिवादी क. 3 म.प्र. शासन को पक्षकार बनाया है जिसक विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है।
- 3. वादी/अपीलार्थी के वाद का सार यह है कि इस निर्णय के पद कमांक 2 में लेख आधार पर वाद पेश किया है। वादग्रस्त सम्पत्ति शासकीय भूमि होने के कारण प्रतिवादी क. 3 को पक्षकार बनाया गया है किन्तु उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है। ग्राम गुदमा पटवारी हल्का नम्बर 25 राजस्व निरीक्षक मण्डल उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 194/1 रकवा 2.12 एकड़ में से 2¹/₂ डिस्मिल भूमि जिसके उत्तर में उमेश नाई की दुकान दक्षिण में हिम्मतलाल बिसेन का कब्जा, पूर्व में वन विभाग की भूमि, पश्चिम में लोक निर्माण विभाग की सड़क स्थित है, से घिरे हुये क्षेत्र में वादी 1994 से काबिज होकर अपने दुकान का संचालन करता है। उक्त चतुरसीमा की भूमि राजस्व प्रकरण कमांक 902''बी'-121/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 24.08.04 के अनुसार वादी को कब्जे में प्राप्त हुई है।
- 4. वादी ने ग्राम पंचायत गुदमा के समक्ष लिखित आवेदन पेश कर वादग्रस्त भूमि पर दुकान का संचालन कार्य स्थायी रूप से किये जाने की कार्यवाही हेतु पेश किया था। ग्राम पंचायत ने उक्त आवेदन पर दिनांक 12.12. 2000 को आम सभा के समक्ष प्रस्ताव क्रमांक 9 लेख किया कि वादी को चाय पान की दुकान लगाने की अनुमित दी जाये, इस प्रस्ताव पर ग्रामीण जनों ने सहमित देकर प्रस्ताव पारित किया था अनुमित सार्वजिनक रूप से पारित की गई। वादी ने अपनी दुकान कट्टा बल्ली से निर्मित की। वर्ष 2003—2004 के राजस्व मामले में तहसीलदार द्वारा जाँच कर कथन लेख कर वाद भूमि का स्वत्व प्राप्ति का हकदार वादी है लेख किया किन्तु बाद में प्रतिवादी क. 1 और

2 ने वादी के विरूद्ध अतिकामक का प्रकरण बनाकर कब्जा छोड़ने के निर्देश दिये वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रतिवादी क. 1 ने अवलोकन नहीं किया। वादी को किसी भी समय बेदखल करने दुकान तोड़ने का निर्देश विधि की त्रुटि की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी क. 1 और 2 अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं।

- 5. यदि प्रतिवादी क. 1 और 2 वादी की दुकान तोड़कर वादी को बेदखल करते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षित होगी। परिवार का लालन पालन प्रभावित होगा इसलिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा हमेशा के लिये जारी की जावे। दिनांक 08.05.15 को नोटिस के आधार पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। वाद में सफल होने की वादी को पूरी सम्भावना है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। स्वत्व की घोषणा हेतु मूल्यांकन 1000/—रूपया तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतुवाद का मूल्यांकन 1000/— रूपये कर वांछित न्याय शुल्क 620/— रूपये अदा की गई है। दावा डिकी किये जाने की याचना की है।
- 6. प्रतिवादी क. 1 और 2 ने संयुक्त वादोत्तर पेश कर वाद में स्वीकृत तथ्यों को छोडकर शेष अभिवचनों को कंडिकावार स्पष्ट इनकार किया है और लेख किया है कि वादी ने मनगढंत और गलत आधार पर वाद पेश किया है। वाद भूमि घास मद की शासकीय भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत को संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं है। वाद भूमि पर व्यवस्थापन, बटांकन की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं है। विशिष्ट कथन करते हुये लेख किया है कि वाद भूमि पर अतिकमण पाये जाने पर वादी को नोटिस प्रेषित किया गया है। अतिकमण प्रकरण तैयार किया गया है। अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही के विरुद्ध उसे रोके जाने का अधिकार वादी को नहीं है।
- 7. वादोत्तर के विशिष्ट कथन में यह भी आधार लेख किया गया है कि वादी की पत्नी शहनाज बेगम को खसरा नं. 182/1 में से  $2^1/_2$  डिस्मिल भूमि का पट्टा दिया गया था किन्तु उक्त खसरा नम्बर के बजाय खसरा नं. 194/1 घास मद की शासकीय भूमि को वादी हड़पना चाहता है। घास मद की भूमि के लिये पट्टा जारी नहीं किया गया है। वादी ने वास्तव में 4 डिस्मिल भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। वह साधन सम्पन्न व्यक्ति है। प्रतिवादी क. 1 और 2 लोकसेवक है जिनके विरुद्ध वाद लाने के लिये धारा 80 उपधारा 2 सी.पी.सी. का सूचना पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है उसके अभाव में वाद प्रचलनयोग्य नहीं है। खसरा पांचसाला वर्ष 2009 से

2011—2012 पेश किये है जिसमें 2008 से 3 वर्ष के लिये अस्थायी पट्टे पर दिये जाने का उल्लेख है। वादी की स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वाद निरस्त किये जाने की याचना की है।

8. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दस्तावेज साक्ष्य की सही विवेचना नहीं की है इसिलये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष लेख किया गया है। ग्राम पंचायत कार्यवाही पंजी की नकल प्रदर्श पी 5 के अनुसार अपीलार्थी 20 वर्षों से वाद भूमि कब्जे में है। स्वीकृत रूप से 1994 से कब्जे में हैं। मकान टेक्स की रसीदें पेश की हैं। उत्तरवादी क. 1 द्वारा निष्पादित दस्तावेज प्रदर्श पी 1 की कंडिका क. 4 और 5 को आधार मानकर तथा घास मद की भूमि होना आधार मानकर त्रुटि की है। प्रदर्श पी 1 के दस्तावेज का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रदर्श पी 1 के दस्तावेज को महत्व न देकर त्रुटि की है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद प्रश्न क. 1 को आधार न मानकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। वाद प्रश्न क. 2 को प्रमाणित न मानकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नाधिन निर्णय आज्ञप्ति दिनांक 18.07.2017 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार कर पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार कर पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति निरस्त कर दावा डिकी किये जाने की याचना की है।

# अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न है :-

क्या न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किये जाने से अथवा तथ्य की त्रुटि किये जाने से अथवा विधि की त्रुटि किये जाने से निर्णय दिनांक 18.07.2017 हस्तक्षेप योग्य है?

### विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निकर्ष:-

9. मूल अभिलेख पर वादी / अपीलार्थी ने कुल 5 दस्तावेज प्रदर्शित कराये हैं जिनमें न्यायालय नायब तहसीलदार बैहर द्वारा राजस्व प्रकरण क. 902 / बी—121वर्ष 2003—2004 मोहम्मद हुसैन विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 24.08.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसके पद क. 8 के पश्चात् पृष्ठ कमांक 4 पर आवेदक मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद गुलाब का ग्राम गुदमा में शासकीय भूमि खसरा नं. 194 / 1 रकवा 2.12 एकड़ में से ढाई डिस्मिल भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा दी गई आम सहमति के आधार पर

कब्जा है जिसका विधिवत् किराया ग्राम पंचायत द्वारा लिया जा रहा है इस आधार पर वह भूमि धारण करने की पात्रता रखता है। पंचायत के प्रस्ताव क. 9 दिनांक 12.12.2000 के अनुसार म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 के अंतर्गत बने प्रावधानों में उक्त शासकीय भूमि ढाई डिस्मिल पर आवेदक का नामांतरण दर्ज कर सकते हैं, इस दस्तावेज को अपीलार्थी की ओर से विशेष महत्व दिया गया है।

- 10. अभिलेख पर प्रदर्श पी 5 का ग्राम पंचायत गुदमा की प्रस्ताव पंजी में लेख प्रस्ताव क. 9 दिनांक 12.12.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो सरपंच के पदमुद्रा हस्ताक्षर से जारी है का अध्ययन किया गया जिसमें प्रस्ताव में भी खसरा नं. 194/1 घास की भूमि रेंज आफिस स्पष्ट लेख है। कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण में खसरा नं. 194/1 घास की भूमि स्पष्ट लेख है। इस घास मद की भूमि के ढाई डिस्मिल भूमि रेंज आफिस के पास बाबत सहमति दी गई लेख है। संलग्न अप्रदर्शित खसरा नकल में उक्त भूमि सरकार के नाम से दर्ज है।
- 11. वादी साक्षी क. 1 मोहम्मद हुसैन द्वारा पेश आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के अधीन मुख्य कथन के पद क. 1 लगायत 4 का अध्ययन किया गया। इस साक्षी ने शेष मुख्य कथन के पद क. 5 में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 4 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है। प्रतिपरीक्षण के पद क. 6 लगायत 11 का अध्ययन किया गया। वादी साक्षी क. 2 इसराईल कुरैशी के मुख्य कथन के पद क. 1 लगायत 4 तथा प्रतिपरीक्षण के पद क. 5 लगायत 7 का अध्ययन किया गया। भंवरसिंह धुर्वे वादी साक्षी क. 3 के मुख्य कथन के पद क. 1 लगायत के पद क. 6 का अध्ययन किया गया।
- 12. इस साक्षी ने पद क. 6 में यह स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत को घास मद की जमीन के बारे में किसी प्रकार का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि भूमि खसरा नम्बर 194/1 शासकीय घास मद की जमीन है।
- 13. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया।
- 14. प्रदर्श पी 1 के आदेश में धारा 244 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 का उल्लेख किया गया है। धारा 244 इस प्रकार है:—

आबादी स्थालों का निपटाराः— इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये ग्राम पंचायत या जहां ग्राम पंचायत का गठन न

किया गया हो वहां तहसीलदार आबादी क्षेत्रों में स्थलों का निपटारा करेगा। उक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को उस क्षेत्र की आबादी भूमि के सम्बंध में अधिकारिता प्रदान की गई है। जबिक प्रश्नाधीन भूमि सरकारी घास मद की भूमि है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह उसका आबंटन करे इसलिये ग्राम पंचायत का प्रस्ताव क. 9 विधि का उल्लंघन करते हुये पारित किया गया है। साथ ही साथ प्रदर्श पी 1 के आदेश में भी तत्कालीन नायब तहसीलदार बैहर वृत्त उकवा ने म्र.प. भू-राजस्व संहिता का अध्ययन किये बिना घास मद की भूमि होना जानते हुये त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो उन पीठासीन अधिकारी की विधि को समझने की भूल का नतीजा है।

15. वादी के सम्पूर्ण साक्ष्य में म.प्र. राज्य के खिलाफ कोई उपचार नहीं चाहा है। अभिवचन में भी म.प्र. राज्य के खिलाफ कोई उपचार नहीं चाहा है। प्रतिवादी क. 1 और 2 प्रतिवादी क. 3 के मातहत अधिकारी, कर्मचारी है, इसलिये उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुति के पूर्व धारा 80(1)सी.पी.सी. 1908 की मंशानुसार म.प्र. राज्य के लिये कलेक्टर बालाघाट को प्रेषित करना चाहिये था, नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात् 60 दिवस की अवधि के पूर्व यदि वाद पेश करना आवश्यक था तब धारा 80(2) सी.पी.सी. के अधीन वाद पत्र के साथ आवेदन संलग्न कर न्यायालय की अनुमित प्राप्त कर वाद पेश किया जा सकता था। उक्त विधिक त्रुटियों के कारण दावा प्रारंभ से ही प्रचलनयोग्य नहीं था।

16. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से भी वादी का आधिपत्य अभिवचन के अनुसार प्रमाणित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। उत्तरवादी की ओर से श्री आर.आर.पटले अधिवक्ता ने देवेन्द्र कुमार विरूद्ध म.प्र. राज्य 2014 राजस्व निर्णय 18(उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत पेश कर राज्य की भूमि पर भले ही 50 वर्षों का आधिपत्य हो किन्तु धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन अतिकामक के पक्ष में अनिधकृत कब्जे को संरक्षित करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत इस अपील से संबंधित मामले में भी समान रूप से तथ्यात्मक आधार पर और विधिक आधार पर लागू होता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को निरस्त करने में साक्ष्य के मूल्यांकन की त्रुटि नहीं की है, किसी प्रकार तथ्य की त्रुटि नहीं की है और ना ही विधि की त्रुटि की है।

- 17. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 18.07.2017 की पुष्टि की जाती है।
- 18. प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
  - (এ) उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
  - [ब] अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
  - {स} तद्नुसार डिक्की बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
बालाघाट, श्रृंखला बैहर

Sa/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला बैहर

AND STREET STREET, STR

### DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. RCA / 20 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झोड़, द्वि.अ.जि.न्या.बालाघाट श्रृंखला – बैहर

— — — — वादी / अपीलार्थी

# -// <u>विरूद</u> //

- 1— नायब तहसीलदार महोदय उकवा (परसवाडा) बालाघाट
- 2— पटवारी,प.ह.न.25 मौजा उकवा तहसील परसवाडा बालाध
- 3— म०प्र० शासन तर्फः-कलेक्टर बालाघाट म.प्र.

鈊 – -प्रतिवादी / उत्तरवादीगण

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट dated the 18 day 07-2017 Civil Suit No. 300021A of 2015.

This appeal coming on for hearing on the 16day of Jan. 2018 before me in the presence of-

श्री बी**0एल0 राणा अधिवक्ता** .for the appellant and of श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता for the respondent No. 1, 2 कोई नहीं for the respondent No. 3 M.P. State

> It is ordered and decreed that -प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

- (अ) उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
- [ब] अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- {स} तद्नुसार डिकी बनायी जावे।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 75/- are to be Paid by the **Appellants.** 

The cost of the original suit be paid by the

Given under my hand and the seal of the Court, this 18 day of Jan. 2018.

Sd/-

(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट

### **COSTS OF APPEAL**

	Appellant	Amount	Respondent	Amount	
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	620.00	Stamp for Power	10.00	
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	2.00	
3.	Stamp for Exhibits		Service of Processes	i	
4.	Service of Processes	10.00	Pleader's fee on Rs (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	65.00	
5.	Pleader's Fee on Rs(प्रमाण पत्र पेश नहीं)	65.00	Sudin		
6.	Application & Affidavite	20.00	1 Edition		
	Total :-	725.00	Total :-	75.00	
( सात सौ पच्चीस रूपये सिर्फ) (पछत्तर रूपये सिर्फ					
T Hallette					
	Sd/-				
(माखनलाल झोड़)					
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट					
शृंखला बैहर Dinendra Hedau.					